

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक :- 24/06/2024

सं०-11/सू०अ०अधि०-03-15/2014 का०.....4153...../सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(3) के प्रावधानों के अधीन झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु माननीय राज्यपाल, झारखण्ड, राँची को अनुशंसा किए जाने के निमित्त चयन समिति का पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1. माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड, राँची — अध्यक्ष
2. माननीय नेता, विरोधी दल
झारखण्ड विधान सभा, राँची — सदस्य
3. श्री दीपक बिरुआ,
माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग — सदस्य

2. पूर्व में निर्गत एतद् विषयक अधिसूचना सं० 1355 दिनांक 09.01.2015 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(ब्रज माधव)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :-11/सू०अ०अधि०-03-15/2014 का०.....4153...../राँची, दिनांक :- 24/06/2024

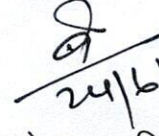
प्रतिलिपि:- माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय नेता, विरोधी दल, झारखण्ड विधान सभा, राँची के आप्त सचिव/श्री दीपक बिरुआ, माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राँची के आप्त सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखण्ड, राँची/झारखण्ड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं संबंधित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/6/2024

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :-11/सू0अ0अधि0-03-15/2014 का0.....4153/राँची, दिनांक :- 24/06/2024

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


24/6/2024

सरकार के उप सचिव।